"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2002—आश्विन 26, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 1328/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, को दिनांक 8 एवं 9-7-2002 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 10-7-2002 से 10-8-2002 तक 32 दिन का लघुकृत अवकाश, दिनांक 11-8-2002 से 13-8-2002 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 14-8-2002 से 28-8-2002 तक 15 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रघुवंशी को पुनः अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. रघुवंशी यदि

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-14/2002/1-8.—श्री टी. आर. नागेन्द्र (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा) वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम-जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग भी घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-7/2002/1-8/स्था.—श्री तपेश कुमार झा, भा. व. से., अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज (सूचना प्रौद्योगिकी/बायोटेक्नॉलाजी) विभाग, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से, उनके पैतृक विभाग वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-13/2002/1-8/स्था.—निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग घोषित किया जाता है :—

(1) श्री एस. के. चक्रवर्ती (लेखा सेवा),
पदेन वि.क.अ., वित्त एवं योजना विभाग.

(2) डॉ. अखिलेश कुमार सिंह (लेखा सेवा),
पदेन वि.क.अ., वित्त एवं योजना विभाग.

(3) श्री विनोद कुमार लाल (लेखा सेवा),
पदेन वि.क.अ., वित्त एवं योजना विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक 2409/1710/02/2/एक/लीव.—श्री एस. एन. ध्रुव, तत्कालीन कलेक्टर, रायगढ़ को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1568/1229/02/2/एक, दिनांक 5-6-2002 द्वारा दिनांक 10-6-2002 से 14-6-2002 (5 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था इसी अनुक्रम में श्री ध्रुव को दिनांक 15-6-2002 से 18-6-2002 (4 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) कालम क्रमांक 2 से 5 तक इस विभाग के आदेश दिनांक 5-6-2002 के अनुसार यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक 2423/1821/02/2/एक.—श्री आर. सी. सिन्हा, तत्कालीन सचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 1-8-2002 से 8-8-2002 (8 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सिन्हा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

(3) अवकाश की अवधि में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसे प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक 2485/1542/02/2/एक/लीव.—श्री अजयपाल सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव, पर्यटन विभाग को दिनांक 15-4-2002 से 10-5-2002 (26 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11 एवं 15 मई, 2002 को सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजयपाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

(3) अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3686/डी-1231/21-ब/छ.ग., दिनांक 23-5-2002 द्वारा श्रीमती अमृता संजय लाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बिलासपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई थी. इस अनुक्रम में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6, दिनांक 4-6-2002 द्वारा श्रीमती अमृता संजय लाल को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है.

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 4732/कॉन्फिडेंट/2002, दिनांक 4-9-2002 एवं विधि और विधायी कार्य विभाग के ज्ञाप क्रमांक 5807/डी-2187/21-ब/छ.ग., दिनांक 4-9-2002 द्वारा श्रीमती अमृता संजय लाल की सेवाएं वापिस चाही गई हैं, अत: श्रीमती अमृता संजय लाल, विधि अधिकारी, छ. ग. मानव अधिकार आयोग, रायपुर की सेवाएं एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विधि विभाग को वापिस लौटाई जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 2419/16-सी/श्रम/2002.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूर्वाक्षेपी प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ. क्र.	नाम श्रम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी का नाम
1.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	श्री ए. के. शर्मा
2.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	श्री ए. के. शर्मा
3.	श्रम न्यायालय, रायपुर	श्री एस. के. टाईटस
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री एस. के. टाईटस
5.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	श्री अशोक कुमार सनोठिया.
6.	श्रम न्यायालय, अम्बिकापुर	श्री अशोक कुमार सनोठिया.
7.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री अशोक कुमार सनोठिया.

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें, वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनको कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अन्तरित की गई, उक्त कार्यवाहियां उस स्टेज से आगे चलायेंगे जिस स्टेज पर कि वे उक्त प्रकार से अन्तरित हुई हैं.

Raipur, the 30th September 2002

No. 2419/16-C/LAB./02.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the state Government hereby :—

(A) Constitutes the Labour courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said act, and appoints

the persons specified in the correspon-ding entry in column (3) of the said table as the presiding officers of the said Court with retrospective effect from the date of taking over charge by them of the Labour Courts con cerned:—

TABLE

S. No.	Name of Labour Court	Name of Presiding Officer
1.	Labour Court, Durg	Shri A. K. Sharma
2.	Labour Court, Rajnand-gaon.	Shri A. K. Sharma
3.	Labour Court, Raipur	Shri S. K. Titus
4.	Labour Court, Jagdalpur	Shri S. K. Titus
5.	Labour Court, Bilaspur	Shri A. K. Sanothiya
6.	Labour Court, Ambikapur	Shri A. K. Sanothiya
7.	Labour Court, Raigarh	Shri A. K. Sanothiya

(b) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Noti fication at the place concerned and transfers then to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and directed that the Labour Court is which pro-ceedings are as transferred shall proceed with then for the state at which they are as trans- ferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 680/2002/23/यो.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजनांतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की सूची में "निजी शिक्षण संस्थाओं को भवन, उपकरण, पुस्तकालय व प्रयोगशाला हेतु अनुदान दिया जाना सम्मिलित किया जाए".

2. तद्नुसार मार्गदर्शिका की परिशिष्ट-"एक" की कंडिका "ल" के पश्चात् निम्न संशोधन जोड़ा जाता है :—

ब-"निजी शिक्षण संस्थाओं को भवन, उपकरण, पुस्तकालय व प्रयोगशाला हेतु अनुदान".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. सी. ओगरे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 2109/1750/2001/खनिज साधन विभाग.—भारत के संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 19-78-83 (XII) दिनांक 27 फरवरी, 1984 को अतिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में निम्नलिखित अपवादों एवं उपान्तरणों के अधीन लागू होगा, जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम (2) में संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :—

अनुसूची

अधिनियम का नाम (1)	अपवाद एवं उपान्तरण (2)
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम क्र. 67) की धारा 4.	धारा 4 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जावे, अर्थात्—

"(3)" उपधारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी खान से उत्खनित अयस्क चुराई गई संपत्ति माना जावेगा और सम्यक् सूचना के पश्चात् अभिग्रहित (जप्त) तथा समपहृत (राजसात) किये जाने के दायित्वाधीन होगा, भले ही उसे धातु या मिश्र धातु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, प्राकृतिक अवस्था में हो या किसी रूप में गढ़ दिया गया हो, चाहे जो भी हो.

परन्तु यदि टिन अयस्क का उत्खनन किसी ऐसी सहकारी समिति जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हो तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम में पंजीकृत हो, के सदस्य द्वारा किया गया हो तो इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी को निर्धारित सीमा तक बेची गई टिन अयस्क की मात्रा को चुराई गई संपत्ति नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि—

(i) ऊपर दर्शित समिति का सदस्य छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा जारी किया गया, विस्तृत जानकारी तथा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटो सहित परिचय पत्र धारण करता है.

(ii) ऐसी पंजीकृत समिति द्वारा एकत्रित टिन अयस्क 48 (अड़तालीस) घंटे के अंदर खनिज निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्र में विक्रय किया जावे.

(4) ऐसी समस्त समितियों या व्यक्तियों, जो उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत नहीं आते, द्वारा उत्खनित टिन अयस्क चुराई गई संपत्ति माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी.

(5) शासकीय अभिकरण या शासकीय कंपनी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या कंपनी, जिसके कब्जे अथवा उसके द्वारा बस्तर/दंतेवाड़ा जिले के अनुसूचित क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति या अभिकरण के माध्यम से परिवहन करते हुये उपधारा (3) में वर्णित चुराई गई संपत्ति पाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 की क्र. 45) की धारा 411 के अधीन दंडनीय होगा जब तक कि अभियुक्त द्वारा यह साबित न कर दिया जाये कि अभियुक्त, उस सामग्री या वस्तु का सामान्य कारोबार करने वाली नियमित दुकान से उसे मूल्य देकर क्रय करने वाला वास्तविक क्रेता था.

परन्तु भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का क्र. 45) की धारा 411 के अधीन किसी अपराध हेतु कोई अभियोजन, छत्तीसगढ़

(1)	(2)
	खनिज विकास निगम में पंजीकृत अनुसूचित जनजाति समिति के सदस्य के विरुद्ध दंतेवाड़ा/बस्तर के जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी अभिप्राप्त किये बिना आरंभ नहीं किया जावेगा.
	स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिये "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या ऐसी जनजातियों के अंतर्गत समूहों का सदस्य, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

Raipur, the 17th September 2002

No. 2109/1750/2001/Mineral Resources Department.— In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in supersession of the previous Notification No. 19-78-83 (XII) dated 27th February, 1984 issued by the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to direct that the Act specified in column (1) of the Schedule below shall apply to the Scheduled areas of Bastar and Dantewada District in the State of Chhattisgarh with the following exceptions and modifications as specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

Name of the Act (1)	Exceptions and Modifications (2)
Section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957).	After Sub-section (2) of Section 4, the following Sub-section shall be inserted, namely :—
	"(3)" The ore extracted from a mine in contravention of the provisions of Sub-section (1) shall be deemed to be stolen property and shall be liable to be seized and forfeited after due notice, even if converted into the form of metal or alloy or raw or shaped into any form whatsoever.
	Provided that Tin ore extracted by a member of such Co-operative Society which belongs to Scheduled Tribe and is registered with Chhattisgarh Mineral Development Corporation; shall not be deemed to be a stolen property within the meaning of this Sub-section to the extent of permitted quantity of Tin ore sold to any Government Company, However.

(1)	(2)

(i) The member of such aforesaid society must hold the identity card with full details and attested passport size photo issued by Chhattisgarh Mineral Development Corporation.

(ii) Entire Tin ore collected by registered societies shall be sold within 48 hours (Forty eight hours) from its collection to the corporation at their purchase centre.

(4) The Tin ore extracted by all such societies or persons, not covered in the above mentioned proviso shall be deemed to be a stolen property and appropriate action can be taken agianst them as per rules.

(5) Any person or company, other than the Government agency or the Government Company found in possession of, or found transporting through any person or agency outside the Scheduled Area of Dantewada/Bastar District will be deemed as stolen propery mentioned in Sub-section (3); shall be liable to be punished under Section 411 of the Indian Penal Code 1860 (No. 45 of 1860) unless it is proved by the accused that he was a bonafide purchaser for value from a regular shop generally dealing in that material or commodity.

Provided that no prosecution for the offences under Section 411 of the Indian Penai Code, 1860 (No. 45 of 1860) shall be launched against a member of society of Scheduled Trible registered with Chhattisgarh Mineral Development Corporation without obtaining prior sanction from the District Magistrate of Dantewada/ Bastar district.

Explanation :—For the purposes of this Section "a member of Scheduled Tribe" means a member of such tribles, tribal communities or parts of, or groups within such tribes specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 2283/एस.आई.पी.बी./1/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002" में निहित "राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड" को प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार करता है :—

1. मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2. राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, छ. ग. शासन	सदस्य
4. सचिव, वाणिज्यकर विभाग, छ. ग. शासन	सदस्य
5. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छ. ग., शासन	सदस्य
6. सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
7. सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
8. सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, खनिज एवं उद्योग, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य सचिव

2. उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जावेगी.
3. समिति रु. 100.00 करोड़ से अधिक के प्राप्त निवेश प्रस्तावों का परीक्षण कर, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
4. आवश्यकतानुसार समिति अन्य विभाग के अधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में बुला सकेगी.
5. अध्यक्ष के निर्देश व अनुमति के अनुसार समिति के दायित्व व अन्य कार्य निर्धारित किये जा सकेंगे.
6. सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

क्रमांक 4680/2586/जसं/2002.—श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता (मानिटरिंग) जल संसाधन विभाग को दिनांक 3-10-2002 से 18-10-2002 तक (2-10-2002 प्रिफिक्स एवं 19-10-2002 एवं 20-10-2002 सफिक्स) 16 दिनों का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री सी. पी. चौधरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.
4. श्री सी. पी. चौधरी को अवकाश से लौटने पर मुख्य अभियंता (मानिटरिंग) जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.
5. अवकाश अवधि में श्री पी. एस. देशमुख, विशेष कर्त्तव्यवस्थ अधिकारी अपने कार्य के अतिरिक्त श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता का कार्यभार सम्हालेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुशील त्रिवेदी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 अगस्त 2002

भू-अर्जन क्रमांक 7/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	गोडखाम्ही	2.34	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली रहन नाला फीडर केनाल व्यपवर्तन योजना [illegible] बांध, पार, नहर एवं [illegible]त्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 34/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बांसाझाल	143.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	बांध निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 35/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पचरा	18.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	चापी जलाशय डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिंगवार	2.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 37/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चपोरा	12.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 38/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरा	5.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 39/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिरगहनी	1.68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 40/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी	14.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2002

रा.प्र.क्र. 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	संबलपुर	4.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसधान संभाग, सूरजपुर.	सेमरा व्यपवर्तन जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र. 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	कमलपुर गणेशपुर पण्डोनगर मदनपुर.	4.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	अजबनगर जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	ओड़गी	4.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	ओड़गी जलाशय डूबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	गिरजापुर	0.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	गिरजापुर जलाशय का वेस्ट वियर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	कालामांजन	0.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर	ओड़गी जलाशय डूबान क्षेत्र, बांध व वेस्ट वियर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धर्मजयगढ़	गिधकालो प. ह. नं. 7	7.224	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़	सलखेता जलाशय के नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धर्मजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 3/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धर्मजयगढ़	कुम्हीचुंवा प. ह. नं. 7	6.559	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	सलखेता जलाशय के मुख्य नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धर्मजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धर्मजयगढ़	बैरागी प. ह. नं. 7	2.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	सलखेता जलाशय के मुख्य नहर निर्माण बाबत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धर्मजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2002

प्र. क्र./16/अ-82/2001-2002/2085.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा प. ह. नं.-4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	278/1	0.01
	294/4	0.06
	297/7	0.49
योग	3	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को पं. रविशंकर शुक्ल नगर मिश्रित आवासीय योजनांतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक 3220/02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-टेकनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
784	0.05
793	0.05
730	0.15
794	0.30
725	0.58
732	0.10
534	0.03
537	0.07
723	0.34
708	0.22
712	0.28
704	0.01
711	0.30
705	0.24
321	0.07
539	0.24
320	0.16
304/2	0.24

(1)	(2)
324	0.09
331/7	0.15
335	0.25
337	0.32
333	0.30
309	0.15
304/1	0.03
159	0.19
165/5	0.52
164	0.03
713	0.23
योग	5.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारली मांइनर हेतु नहर/नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अ. वि.अ.रा. दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-भोण्ड, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111	0.045
113/2	0.045
129	0.040
113/1	0.061
114	0.113
115	0.040
116	0.012
118	0.040
122	0.093
123	0.073
128	0.073
172/1	0.105
140/2	0.024
142	0.142
145	0.142
146	
172/1	0.069
172/32	0.093
180/20	0.073
172/33	0.093
172/34	0.073
175/2	0.081
180/1	0.113
180/1	0.093
189/11	0.142
189/12	
199	0.045
200	0.061
180/12	0.749
180/1	0.045
189/1	0.134
189/1	0.105

(1)	(2)
189/1	0.093
189/1	0.183
189/1	0.344
209	0.162
189/2	0.142
196	
189/3	0.045
189/9	0.040
189/10	0.040
189/15	0.073
195	0.049
204	0.061
206	0.121
207	0.101
योग	4.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडोंगर, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.785 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
153/1 ख	0.073
139/17 क	0.097
139/17 ख	0.048
139/17 ग	0.069
139/61	0.118
139/67	0.158
139/78	0.153
139/89	0.069
योग	0.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े डोंगर जलाशय क्रमांक-2 की लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 461/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.581 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1657/2	0.040
1657/1	0.081
1656	0.150
1814	0.008
1668/2	0.053
1668/1	0.081
1670	0.077
1671	0.065
1672	0.105
1676/2	0.105
1676/1	0.105
1813	0.061
1812	0.016
2070	0.004
1811	0.081
1810	0.134
1842	0.004
1893	0.109
1843/1	0.049
1843/2	0.178
1869	0.004
1865/1 ख	0.040
1892	0.101
1894	0.121
1897/1	0.024
1897/2	0.113
1958	0.040
1898	0.202
1914/2	0.028
1945	0.045
1946	0.125
1947/2	0.081
1947/4	0.004
1948/1	0.020
1944	0.121
1948/2	0.012
1948/3	0.121
1950	0.219
1959	0.081
1967	0.040
1968/1	0.069
1968/5	0.069
1968/2	0.081
1968/3	0.040
1995	0.113
2010/1	0.004
1994	0.061
1993/3	0.045
1997/4	0.117
2000/2	0.113
2000/1	0.097
2010/2	0.129
2010/3	0.081
2011	0.101
2006	0.121
207/2	0.004
2017/3	0.109
2016	0.049
2112/2	0.057
2112/3	0.053
2055/7	0.008
2055/8	0.012
2065/2	0.008
2112/1	0.004
2110	0.012
2111	0.129
2069	0.166
2055/3	0.049
2055/1	0.109
2055/2	0.049
2055/4	0.057
2064/3	0.008
2058/1	0.049
2057/3 2057/5	0.121
2056/1	0.162
2056/5	0.077
योग 76	5.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनसरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 462/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलकर्री, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1454	0.052
1455	0.044
1488, 1489	0.032
1487, 1490	0.036
1491, 1492	0.036
1494	0.040
1495	0.004
1498	0.024
1515	0.052
1513	0.069
1512	0.020
1510	0.020
1496	0.040
योग 16	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलकर्री सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 463/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.429 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1008	0.020
1009/2	0.032
1009/3	0.032
1039/3	0.020
1010	0.052
1042/1, 1042/2	0.004
1043/1	0.028
1044	0.028
1043/2	0.032
1043/3	0.036
1045/1	0.008
1050	0.069
1011	0.016
1052	0.024
1070	0.004
1051	0.024
योग 17	0.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पधर्रा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 464/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीनार, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.002 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
293	0.251
292/1	0.049
287/4	0.052
287/3	0.040
294	0.049
295/1	0.081
287/2	0.129
287/1	0.146
286/1	0.089
286/2	0.032
283	0.020
264	0.040
265	0.040
269	0.040
271	0.020
268	0.024
243/7	0.069
243/6	0.089
274	0.053
243/4	0.061
249	0.008
248	0.045
247/3	0.012
247/2	0.020
246	0.032
212/2	0.049
214	0.069
215	0.061
216/1	0.069
217/2	0.093
226/1, 2	0.069
225	0.097
263	0.004
योग 33	2.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिकारीनार सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 465/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324/3	0.012
323/2	0.020
323/1	0.028
319	0.089
योग 4	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है-शिकारीनार माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 466/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
947/3	0.172
योग 1	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमनडीह सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 467/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराडीह, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/5	0.012
170/1	0.045
170/11	0.045
171/1	0.081
173/1	0.028
173/7	0.137
172	0.016
योग 7	0.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमनडीह सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 468/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1155/1	0.044
1155/2	0.044
1166	0.072
1167/2	0.064
1168/1	0.032
1168/2	0.032
1170	0.044
1173/1	0.112
1173/2	0.112
1175/1	0.312
1211	0.016
1212	0.092
1213	0.004
1214/1	0.064
1154	0.032
योग 15	1.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारीभांवर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 469/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537	0.097
534	0.020
536	0.091
535/2	0.079
535/1	0.061
548	0.048
546	0.016
547	0.016
योग 8	0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 470/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्रामं-कोटेतरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1185/2	0.128
योग	1	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 471/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	60	0.061
योग	1.	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 472/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
222/2	0.162

(1)	(2)
222/1	0.008
222/3	0.049
222/4	0.129
227/1	0.008
210/1	0.097
210/3	0.057
210/2	0.040
211/1	0.040
211/2	0.049
206	0.012
210/4	0.004
411/3	0.032
205/1	0.008
411/3 ख	0.040
411/5	0.065
204	0.004
411/6	0.049
योग 18	0.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 473/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.767 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/1	0.061
197/2	0.045
198	0.057
202	0.036
203	0.065
206	0.077
210/1	0.036
213/2	0.065
214/1	0.065
214/2	0.065
215/1	0.004
217	0.032
249, 250, 251	0.065
216	0.069
योग 14	0.767

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 474/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली कलां, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.820 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
386/1	0.061
386/2	0.008
396	0.049
395/1, 3	0.057
393/3	0.101
393/1	0.065
392/1	0.057
392/9	0.036
392/8	0.008
392/5	0.016
392/4	0.065
389	0.111
390/1	0.097
391	0.089
योग 14	0.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 475/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
112/1, 2, 3, 5, 2 ख	0.235
111/1, 2, 3	0.032
113	0.135
110, 108	0.049
104	0.004
105	0.040
101	0.016
100/1, 2, 3	0.004
158/1, 158/4 ख	0.162
67/1, 2, 3, 4	0.004
159/1	0.040
159/2	0.049
161	0.089
162/1, 2, 3	0.049
163	0.109
164, 165	0.004
173	0.040
168	0.004
169/1, 2, 3	0.097
188/1, 2	0.081
176/1 से 5	0.097
177	0.077
178/1, 2, 3, 4	0.190
175/1, 2, 3, 4, 5	0.097
योग 24	1.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असौंदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 476/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी , प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144/1	0.097
142	0.101
141/2 क	0.065
140	0.061
योग 4	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जुनवानी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 477/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली कला , प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
386	0.101
387	0.032
388	0.110
योग 3	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बासीन सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 478/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभाट, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
621/1	0.146
621/2	0.057
616	0.028
619/1	0.016
618	0.040
617	0.040

	605	0.008
योग	7	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 479/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभाट, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.262 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	813/4	0.101
	813/2	0.020
	815/5	0.141
योग	3	0.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 480/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	916	0.370
	917/1	0.129
योग	2	0.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमतरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 481/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.961 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1441	0.016
1410/1	0.040
1410/3	0.081
810/5	0.024
1416/1	0.137
1416/3	
1404/4	0.073
1415	0.061
1418	0.093
1419	
1404/1	0.032
1400/2	0.036
1404/2	0.012
1402/2	0.053
1402/1	0.024
1403	0.150
1358/3	0.129
योग 17	0.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराभाट माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 482/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अमलीटिकरा , प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171	0.089
182	0.591
181	0.114
175	0.886
176	0.020
183	0.429
184	0.024
185	0.004
योग 8	2.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 483/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	398/1	0.038
	399	0.076
	400	0.038
योग	3	0.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 484/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करमनडीह, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.095 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6	0.008
	7	0.061
	8	0.020
	9/3	0.040
	9/4	0.040
	9/2	0.045
	49	0.004
	50	0.020
	51/3	0.040
	51/4	0.024
	51/5	0.040
	367	0.081
	366/2	0.045
	366/1	0.004
	364/2	0.020
	364/1	0.125
	365/1	
	373	0.121
	342	0.040
	373/3	0.040
	374/1	0.081
	375/3	0.040
	375/4	0.012
	375/1	0.053
	339/1	0.091
योग	24	1.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमनडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 485/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भूतिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1750/2	0.034
1737	0.040
1731/2	0.076
1731/1	0.032
1732, 1733	0.020
योग 6	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 486/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
730	0.045
736/1	0.077
741	0.162
740/1	0.061
736/23	0.263
736/31	0.169
736/27	0.008
736/24, 736/25	0.045
736/12	0.028
727/2	0.036
728	0.045
729	0.004
712/5	0.049
712/1	0.028
712/9	0.028
712/7	0.024
712/3	0.028
712/11	0.028
712/2	0.028
711/1	0.016
710/2	0.016
711/7	0.036
711/8	0.020
684/1	0.016
684/2	0.016
712/4	0.024
685	0.045
योग 28	1.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 487/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
748	0.053
747	0.069
749/1	0.045
750	0.073
751/2	0.040
781/2	0.053
782/1	0.061
788/1	0.045
789/2	0.004
790	0.028
791/1	0.073
791/2	
861	0.113
787	0.065
840/2	0.146
835	0.036
834/2	0.032
862/2	0.016
862/1	0.012
862/3	0.024
860/2	0.145
860/3	0.012
859/2	0.020
903/1	0.073
903/2	0.101
920	0.097
902/3	0.012
योग 26	1.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 488/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/32	0 085
42/3	0.040
89/2	0.008
43/1	
36/1	0.008
51/2	0.024
26/2	0.024
25	0.073

(1)	(2)
49/1	0.020
101	0.040
50	0.036
92	0.004
95	0.008
99	0.012
100	0.024
85/1	0.008
85/2	0.028
84	0.037
103	0.032
105	0.053
121/1	0.040
106	0.024
107	0.024
138	0.020
123	0.016
130	0.016
108	0.004
136	0.024
137	0.008
154/1	0.113
154/6	0.008
378	0.081
354/8	0.053
155	0.042
404/2	0.008
403	0.020
397/1	0.012
41	0.015
42/4	0.024
52	0.004
93	0.020
110	0.004
102	0.040
154/5	0.028
154/9	0.050
155	0.040
483	0.040
377	0.004
379	0.101
383	0.028
384	0.130
402	0.002
400	0.005
399/1 399/4	0.010
398	0.040
387	0.040
योग 57	1.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक 489/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
811	0.020
814	0.249
824	0.435
योग 3	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 490/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1178/2	0.073
1178/1	0.008
1180/2	0.012
1179/3	0.105
1179/5	0.028
1176/2	0.008
1174/2	0.012
1216/1	0.012
1179/4	0.040
1214/4	0.101
1214/3	0.008
1214/8	0.036
1214/2	0.008
1214/6	0.028
1214/5	0.057
1213/3, 1222/1	0.053
1213/2	0.004
1223/1	0.085
1226/3	0.045
1226/2	0.049
1226/4	0.012
1226/5	0.085
1226/8	0.045
1226/9	0.045
1226/11	0.057
1388/3	0.061
1388/1	0.016
1395/19, 1717/14	0.061
योग 28	1.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 491/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2, 6	0.089
28/4	0.008
28/5	0.020
28/1	0.012
योग 4	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरली सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 492/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1602/2	0.065
1558	0.049
1597	0.028
1594/2	0.053
1596	0.049
1585	0.028
1584	0.008
1608/7	0.105
1587/1	0.008
1673, 1674/1	0.032
1676/1	0.073
1718	0.036
1715	0.097
1716/1	0.012
1714	0.045
1713/2	0.036
1712	0.073
1709/1	0.150
1588	0.045
1589/1	0.020
1589/2	0.032
योग 21	1.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरली सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 493/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1274	0.020
1273	0.028
1286/4	0.020
1327/2	0.158
1327/1	0.158
1361	0.073
1365	0.012
1364	0.069
1422/1	0.049
1380	0.028
1381/2	0.045
1382	0.028
1383	0.077
1384/1	0.097
1387/1	0.045
1386/3	0.028
1386/4	0.036
1386/1	0.069
1326/4	0.069
1326/3	0.069
1326/5	0.008
1326/2	0.077
योग 22	1.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लवसरा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 494/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-रानीगांव, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205/6	0.069
योग 1	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 495/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
552	0.125
योग 1	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहाडीह शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 496/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-रानीगांव, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.921 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/3	0.057
6/1	0.085
5	0.049
11/1	0.036
10	0.036
9	0.028
35/1 ख	0.057
36	0.036
37	0.040
38	
39	
41/1	0.008
41/13	0.053
40	0.008
41/2	
47/2	0.073
47/3	0.008
48/2	
46/1	0.012
46/2	0.085
55/1	0.040
55/2	0.016
54/2	
54/1	0.040
60	0.154
योग 20	0.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भक्तूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 497/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.581 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/2	0.036
	27/4	0.012
	33/3	0.040
	29/7	0.040
	33/1	0.008
	33/2	0.040
	34	0.081
	26	0.061
	15/2	0.174
	16	0.073
	25/1	0.016
योग	11	0.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भक्तूडेरा माइनर नहर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 498/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-खोखरी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	198/7	0.065
योग	1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तनौद माइनर नं. 10 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा. दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 499/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.007 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/2	0.061
47/4	0.061
36/1 37/1	0.097
45/5	0.012
38	0.158
29 41	0.304
30	0.004
7/2	0.069
7/5	0.061
7/9	0.069
10	0.057

(1)	(2)
7/3 7/4	0.012
588/10	0.101
977/15	0.182
977/4	0.077
590	0.004
589	0.129
977/3	0.138
974/1	0.161
980/2	0.109
973/1	0.020
981/2	0.032
973/2	0.089
योग 23	2.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगाकोहरौद उपशाखा के तनौद मा. नं. 10 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 500/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.773 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
88/1 89/2	0.016
98/3	0.053
89/1	0.089
98/4	0.097
98/1	0.138
106/1	0.089
106/2	0.036
108/2	0.036
107	0.016
113/2	0.069
113/4 114/2	0.109
111/3 112/2	0.125
114/1	0.073
113/6	0.073
153/2	0.065
164/2	0.049
164/4	0.061
164/6	0.028
113/5	0.085
153/3	0.069
153/4	0.069
164/3	0.012
164/5	0.045
165/1	0.073
171/1 171/2	0.020
172/7	0.069
166/3	0.069
166/10	0.040
योग 28	1.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तनौद माइनर नं. 11 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 501/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
395/7, 395/6	0.093
395, 396	0.061
410/2	0.008
408, 409	0.089
419/4	0.049
419/2	0.012
419/3	0.008
1081	0.004
420/3	0.080
1137/2	0.138
1138/1	0.012
1090/2	0.053
1135, 1137/1	0.004
1068/3	0.032
1089	0.077
1094	0.061
1095	0.008
1068/2	0.036
1068/1	0.057
1068/4	0.061
1068/6	0.040
1069/2	0.065
1069/9	0.069
1086/3	0.020
1073/1	0.093
1083/1	0.101
1074/1, 1083/2	0.016
1074/2, 1083/3	0.134
योग 28	1.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तनौद माइनर नं. 12 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 502/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.952 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/4, 393/2	0.061
395/1, 396/1	0.008
392/3	0.004
392/2	0.109
393/1, 391/1, 1761	0.093

(1)	(2)
383/1	0.069
390/1	0.061
389	0.093
383/7	0.065
383/6	0.093
388/1	0.032
382/1 382/2	0.040
382/5 383/2 384/2	0.129
383/4 383/5	0.061
319/1	0.065
318	0.061
315/7 316/7 317/7	0.032
315/2 316/2 317/2	0.040
315/1 316/1 317/1	0.040
313/4	0.077
1585/1	0.012
310/4 319/9 314/3	0.040
310/1 313/1 314/1	0.263
1582/1 1583	0.129
1587/1	0.251
1587/3	0.024
योग 26	1.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तनौद माइनर नं. 13 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.